वैश्विक रसोई में परिवर्तन पकाना

Cooking Up Change in the Global Kitchen

Global Women's Strike Journal 2006

"दूसरो की देखभाल करना अनेक अनंत परिस्थितियों में चकाचौंध कर देनेवाली कुशलताओं के द्वारा पायी जाने वाली सिद्धि है। खाना पकाना, खरीददारी करना, सफाई और कपड़े धोना, दूसरों के लिए बीज बोना, देखभाल करना और कटाई करना, औरतें सुकून देती हैं और मार्गदर्शन भी, देखभाल करतीं हैं और पढाती भी, चीजें ठीक से लगातीं हैं और सलाह देतीं हैं, अनुशासन लातीं हैं और प्रोत्साहन देतीं हैं, लड़तीं भी हैं और दूसरों को शांत भी करती हैं। किसी भी स्थिति में तकलीफदेह और थका देने वाला यह सेवा कार्य, यह संवेदनशील गृह कार्य, घर में और बाहर, दोनों जगह किया जाता है।

और हम, जो हमारी देखरेख में हैं उनका बचाव और सुरक्षा करने वाले प्रथम व्यक्ति होते हैं। सामान्यतः ये औरतें होतीं हैं – माताएँ, पत्नियाँ,बहनें, बेटियाँ, दादियाँ और काकियाँ – जो न्यायिक अभियानों का प्रेरणा बल होतीं हैं, चाहें हम इनमें अग्रणी या दृश्यमान हों या नहीं।" सेल्मा जेम्स

ग्लोबल विमेन्स स्ट्राइक (ध स्ट्राइक) की रचना बेगार देखभाल के काम के लिए वित्तीय एवं सामाजिक स्वीकृति पाने के लिए और सैनिक बजटों में कटौती की माँग करने के लिए की गई थी।

बेगार को 1975 में मैक्सिको सिटी में आयोजित यू एन के महिला दशक सम्मेलन में पहली बार अजेन्डा में स्थान मिला। 1980 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के अंदाजे के अनुसार औरतें दुनिया का 2/3 काम करतीं हैं, फिर भी उन्हें कुल आय के केवल 5% मिलते हैं। 1985 में यूएन ने औरतें घर में, खेतों में और समुदाय में जो काम करतीं हैं उसको राष्ट्रीय आँकड़ों में शामिल करने के लिए सहमति जताई। विश्व के ज्यादातर हिस्सों में देखभाल के काम में कृषि का और पर्यावरण की सुरक्षा का काम शामिल है। औरतें अफ्रीका और कैरिबियन में उपयोग में लिये जाते अन्न में से 80% पैदा करतीं हैं। एशिया में चावल के खेतों में काम करने वालों मे 90% तक औरतें हैं और लैटिन अमरिका में ग्रामीण क्षेत्रों में औरतें कुल आय का लगभग 50% पातीं हैं और घर पर आहार के लिए अन्न उगाने वाले खेतों में सब से ज्यादा काम करतीं हैं।

आखिरकार 1995 में बीजिंग में हमें यह विजय मिली कि राष्ट्रीय हिसाबो में बेगार को नापा और मूल्यांकित किया जाएगा। यह वैश्विक स्तर पर एक अनोखा मोड़ था। ट्रिनीदाद और टोबेगो में यह कानून 1996 में बना, स्पेन में 1998 में, काटालुन्या में 2005 में। पर वेनेजुएला ने 1999 में एक नया विश्व स्तर का मानक स्थापित किया। उसके संविधान का आर्टिकल 88 कहता है: ***राज्य पुरूषों और स्त्रियों के लिए उनके काम के अधिकार का उपयोग करने में समानता और निष्क्षता का वादा करता है। राज्य घर के काम को एक ऐसे आर्थिक कार्य के रुप में मान्यता देता है, जो एक और मूल्य की रचना करता है और समाज कल्याण और समृद्धि पैदा करता है। गृहिणियाँ सामाजिक सुरक्षा के पात्र हैं।*** लैन्ड एक्ट के 14वें आर्टिकल में बाद में जहाँ पर औरतें परिवार की मुखिया हों ऐसे परिवारों को ज़मीन के बँटवारे में अग्रिमता दी जाने लगी, और गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को भी अन्न सबसीडी के पात्र बनाया गया।

तीन गुना दिन, वेतन में निष्क्षता और पुरुषों की सहायता

आर्थिक ज़रूरत कई महिलाओं को दुगुना या तीन गुना दिन – घर की देखभाल के काम के अलावा बाहर वेतनभोगी काम करने पर मजबूर करती है। ज्यादातर कामों में जब वे दोनों एक ही काम कर रहें हों तब भी औरतों को उनके पुरूष सहकर्मियों से कम वेतन मिलता है। और कई बार हमें हम जिस तरह का देखभाल का काम घर पर करते हैं, उसी में अलग कर दिया जाता है। इन में से कई कार्यों में बहुत कुशलता की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी ये आर्थिक मान्यता प्राप्त नहीं हैं, और समाज में इनका महत्त्व घर पर बेगार किये जाने वाले देखभाल के काम की कम प्रतिष्ठा की वजह से कम हो जाता है।

पुरूषों और महिलाओं के बीच के इस जाती आधारित फर्क की वजह से हम वैश्विक स्तर पर समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन के लिए अभियान चला रहे हैं। हालाँकि *"समान मूल्य के काम के लिए पुरुष और महिला कामगारों के लिए समान वेतन"* का मानक अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत है, (आर्टिकल 2.1, आइएलऑ सम्मेलन 1951), उस पर अमल नहीं किया जाता।

नारिवादियों ने कई बार कार्यभार, गरीबी और वेतन में समानता के मसलों से गर्भपात के मसले को ज्यादा अग्रिमता दी है। फिर भी इस बात को कानून में शामिल करने से कि देखभाल के काम का आर्थिक और सामाजिक मूल्य है, कि हम जब काम करने बाहर जाएँ तब माँओं से ले कर सारी औरतों को सब से कम वेतन पाने की सजा नहीं मिले या पैंशन, स्वास्थ्य सेवाओं, बच्चों की देखभाल और समाज कल्याण में हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाए, इससे सारी औरतों की प्रतिष्ठा और वे जिन लाभों के पात्र हैं यह सब बढ़ जायेंगे।

ज्यादातर पुरुष अपनी माँ से शुरू कर देखभाल के काम पर अपनी निर्भरता से वाकिफ हैं। कई यह भी मानते हैं कि उसको गिनती में न लेने से जातीओं के बीच में परंपरागत रुप से चला आ रहा कार्यविभाजन बना रहता है।

देखभाल करने वाले की प्रतिष्ठा बढाने से औरतें पुरुषों से अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से उठा कर देखभाल करने वाला बनने की माँग करने के लिए एक मजबूत स्थिति में आ जायेंगी।

Global Women's Strike

International coordination:
Crossroads Women's Centre
230a Kentish Town Road, London, England, NW5 2AB
+44 (0)20 7482 2496
womenstrike8m@server101.com
India:
Nawa Chhattisgarh Mahila Samiti (NCMS)
Chhattisgarh, Lakhagar, Pithora, Mahasamund, Chhattisgarh 493551
Tel: +91-7707 71107
Email: manjuncms@yahoo.com

For further info, and translations in 50 languages:
www.globalwomenstrike.net